न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

R 4220 PBR/16

1— श्रीमती मंजुला पति सुरेशचंद्र वाणी उम्र 52 वर्ष
धंधा व्यापारी निवासी हैप्पी विला कालोनी धार जिला धार

2— श्रद्धा गार्डन द्वारा प्रोपरायटर :—
श्रीमती मंजुला पति सुरेशचंद्र वाणी
निवासी हैप्पी विला कालोनी धार जिला धार ....निगरानीकर्ता

आज दि. 15-12-16 को
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

म0प्र0 शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी धार
..............................विपक्षी

निगरानी अर्ज धारा 50 म0प्र0 भूरासं 1959 मुजब

मान्यवर महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता का अत्यंता विनम्रता से अर्ज है कि धार शहर नगर पालिका क्षेत्र में निगरानीकर्ता की विधिवत ग्राम मालीवाडा तहसील व जिला धार में स्थित विधिवत व्यवसायिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित भूमि सर्वे नंबर 9/2 रकबा 0.986 हैक्टर पर व्यवसायिक कार्य रहा है एक अरसे कर रहा है बरसो से कर रहा है। उक्त भूमि पर विधिक रूप से सर्व अनुमति प्राप्त कर श्रद्धा गार्डन मेरिज गार्डन के रूप में व्यवसाय का संचालन करती है, जिसकी जानकारी अनुविभागीय अधिकारी धार, तहसील धार व नगर पालिका धार को भी है किसी प्रकार का कोई विरोध नही रहा है न रहने का प्रश्न है कुछ राजनितिक दबाव के कारण अनुविभागीय अधिकारी धार ने सूचना पत्र क्रमांक 3514/रीडर/2016 दिनांक 19.09.2016 में यथाकथित सूचना आदि का उल्लेख कर नोटिस दिया है जो विचाराधिकार रहित है अवैध है जबकि उनके यहां पूर्व से दस्तावेजी प्रमाण मोजुद है। सभी विधिक को बिना सूचना के वे बिना साक्ष्य लिये बिना किसी प्रकार के प्रमाण के विचाराधिकार रहित तौर पर कार्यवाही प्रारंभ कर रहे है जो विचाराधिकार रहित है। नकल बाबद अर्जी दी है जिस पर से नकल में मिसल भेजी नही है असल प्रपत्र पेश है दिनांक 19.09.2016 का है और प्रकरण में बिना कुट परीक्षण का मौका दिये यथाकथित मिसल में बिना सभी दस्तावेजो की कापियां दिये मनमाने तौर पर प्रकरण में दिनांक 08.12.2016 को जिसकी प्रोसिडिंग की नकल हमने मांगी है नही दी व प्रकरण क्रमांक 62/2015—16/बी—121 में अनुविभागीय अधिकारी महोदय धार ने

Manjula

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4220-पीबीआर/2016 जिला धार

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-03-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो। रीडर अध्यक्ष	